कार्यकारी परिषद की दिनांक 26फरवरी 2016 को 11:00 बजे पूर्वाह्न बराद सदन, सिक्किम विश्वविद्यालय, के सभा-कक्ष में आयोजित 24वीं बैठक के कार्यवृत्त

निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे :

1.	प्रो टी.बी.सुब्बा	-	अध्यक्ष
2.	प्रो0 चेतन सिंह	-	सदस्य
3.	श्री टी.आर.पौड्याल, आई एफ एस, सेवानिवृत्त	-	सदस्य
4.	श्री कमल काफ्ले	-	सदस्य
5.	प्रो0 अमरेश दुबे	-	सदस्य
6.	□ा0 श्री राधा दत्ता	-	सदस्य
7.	प्रो0 बापुकन चौधुरी	-	सदस्य
8.	श्री जितेंद्र सिंह राणे, श्री जी पी उपाध्याय का प्रतिनिधि	-	सदस्य
9.	प्रो0 इर्शाद गुलाम अहमद	-	सदस्य
10.	प्रो0 वी. रामादेवी	-	सदस्य
11.	□ा0 सुबीर मुखोपाध्याय	-	सदस्य
12.	प्रो0 प्रताप चंद्र प्रधान	-	सदस्य
13.	□ा0 नुतन कुमार एस थिंगुजाम	-	सदस्य
14.	□ा0 नवल किशोर पासवान	-	सदस्य
15.	श्री चंदन तालुकदार	-	सदस्य
	कार्यकारी रजिस्ट्रार	-	सदस्य

प्रो0 धनश्याम नेपाल, नेपाली विभाग, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, एवं □ा0 एस मणिवन्नाम, □ीन,छात्र कल्याण अपनी कार्य-व्यस्तताओं के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके ।

अध्यक्ष ने कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया । तत्पश्चात, कार्यसूची मदों पर चर्चा आरंभ हुई ।

भाग - 1

कार्यवृत्तएवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि

ई.स□ 24.1.1: कार्यकारी परिषद की दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित 23व□ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यकारी परिषद की दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित 23व□ बैठक के कार्यवृत्त का परिचालन दिनांक 23.11.2015 को सभ□ सदस्यों के ब□ध किया गया था । समिति के कस□ भ□ सदस्य से कोई अभ्युक्ति प्राप्त नहीं हुई थ□ । कार्यवृत्त **<u>अनुलग्नक -1</u>** पर रखा गया है । बैठक के कार्यवृत्त पर पुष्टि हेतु विचार किया जा सकता है ।

<u>कार्यवृत्त</u>

कार्यकारी परिषद की दिनांक 31.10.2015 को आयोजित 23वीं बैठक के कार्यवृत्त एवं दिनांक 23.11.2015 को सभी सदस्यों के बीच परिचालित, की पुष्टि कर ली गई।

ई.स 24.1.2: कार्यकारी परिषद की दिनांक 31.10.2015 को आयोजित 23व बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यकारी परिषद की दिनांक 31.10.2015 को आयोजित 23वीं बैठक के कार्यवृत्त पर, **अनुलग्नक II में यथा प्रस्तुत अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।**

<u>कार्यवृत्त</u>

सचिव ने अनुवर्ती कार्रवाई का पाठन किया । अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि किए जाने के दौरान सदस्यों ने नोट किया कि सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघ के संविधान में अनुच्छेद VIII एवं अनुच्छेद XII में सदस्यता ग्रहण हेतु योग्यता के संबंध में अन्तर्विरोध है । सदस्यों ने सुझाव दिया कि एम यू एस ए के संविधान का सावधानीपूर्वक पुनर्परीक्षा की जाए, ताकि भविष्य में क्लिष्टताओं से बचा जा सके । तब तक छात्र संघ की अधिसूचना को आस्थगित रखी जाए ।

इस संशोधन के साथ, परिषद ने अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया ।

भाग - 2

रिपोर्टिंग मदें

ई.स 24.2.1: सिक्किम विश्वविद्यालय एवं टाटा कंसल्टिंग ईंजनियर्स प्रा. लि. के बघ अनुबंध

कार्यकारी परिषद की दिनांक 31.10.2015 को आयोजित 23वीं बैठक के टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा.लि. के यांग्यांग स्थित कैंपस विकास परियोजना हेतु परियोजना प्रबंधन कंसलटेंट के रूप में चयन पर अनुमोदन के परिणामस्वरूप, अनुबंध सिक्किम विश्वविद्यालय एवं टाटा कंसल्टिंग ईंजीनियर्स प्रा. लि. के साथ दिनांक 12.02.2016 को क्रियान्वित किया गया ।

<u>कार्यवृत्त</u>

परिषद ने विश्वविद्यालय की सिक्किम विश्वविद्यालय एवं टाटा कंसल्टिंग ईंजीनियर्स प्रा.लि. के बीच यांग्यांग स्थित कैंपस विकास परियोजना हेतु परियोजना प्रबंधन कंसलटेंट के रूप में दिनांक 12.02.2016 को अनुबंध हस्ताक्षरित करने की कार्रवाई को नोट किया ।

भाग - 3
संपुष्टि हेतु मामले

ई.स 24.3.1: रजिस्ट्रार एवं लाइब्रेरियन के पद हेतु चयन समिति में विशेषज्ञ

हमलोगों ने माह सितम्बर 2015 में जारी विज्ञापन के आधार पर रजिस्ट्रार एवं लाइब्रेरियन के पद हेतु भर्ति प्रक्रिया पूरी की है । अन्तर्रवार्ताएं दिनांक 25.01.2016 को आयोजित की गई थी । सांविधि 18(2) के अनुसार चयन समिति में अन्य के अलावा निम्नलिखित सदस्य हैं:

रजिस्ट्रार का पद:

"कार्यकारी परिषद के दो सदस्यगण इनके द्वारा नामित कार्यकारी परिषद द्वारा नामित एक व्यक्ति विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं ।"

लाइब्रेरियन के पद हेतु:

कार्यकारी परिषद द्वारा नामितदोव्यक्तिगण जो विश्वविद्यालय की सेवा में हैं, तथा उन्हें पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त है। कार्यकारी परिषद द्वारा नामित एक व्यक्ति विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है ।

पद का नाम	नामित व्यक्तियों के नाम
रजिस्ट्रार	कार्यकारी परिषद द्वारा नामित इनके दो सदस्यगण श्री कमल काफ्ले, ई सी सदस्य प्रो0 बापुकन चौधुरी, ई सी सदस्य **कार्यकारी परिषद द्वारा नामित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है:** प्रो0 बी.पी. मांगला, टैगोर नेशनल फेलो (जी ओ आई - संस्कृति मंत्रालय)
लाइब्रेरियन	**कार्यकारी परिषद द्वारा नामित दो व्यक्तिगण जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है, तथा पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय में विशेष ज्ञान रखते हैं:** प्रो0 बी.पी. मांगला, टैगोर नेशनल फेलो (जी ओ आई - संस्कृति मंत्रालय) प्रो0 ए.आर.ी प्रसाद , प्रमुख दस्तावेजन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, आई एस आई **कार्यकारी परिषद द्वारा नामित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है:** प्रो0 बापुकन चौधुरी, ई सी सदस्य

कार्यवृत्त

परिषद ने कार्यसूची मद पर चर्चा किया तथा कुलपति द्वारा रजिस्ट्रार एवं लाइब्रेरियन के पद हेतु चयन समिति में विशेषज्ञों को नामित करने की कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.स 24.3.2: प्रो0 ईर्शाद गुलाम अहमद को अंग्रेज विभाग में प्रोफेसर के पद से पदत्याग एवं पदत्याग की वापस

प्रोफेसर इर्शाद गुलाम अहमद ने विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के रूप में दिनांक 21 मई 2014 को लियन पर कार्यभार ग्रहण । विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं की पुष्टि की गई थी । अपने दिनांक 10 दिसंबर 2015 के पत्र में प्रोफेसर इर्शाद गुलाम अहमद ने अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के पद से पद त्याग किया है, एवं दिनांक 15 दिसंबर 2015(ए.एन) से कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि वे अपने पूर्ववर्ती संगठन, उच्चतर शिक्षा विभाग, दार्जिलिंग सरकारी महाविद्यालय, पश्चिम बंगाल सरकार अपने लिएन अवधि के दौरान कार्यभार ग्रहण कर सकें ।
कुलपति ने उनका पद त्याग स्वीकार किया तथा उन्हें दिनांक 15 दिसंबर 2015 (अपराहन) को उनकी सेवाओं से कार्यमुक्त कर दिया ।

प्रोफेसर इर्शाद गुलाम अहमद ने दिनांक 4 जनवरी 2016 के पत्र के द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 2015के प्रोफेसर के पद से अपने पदत्याग की वापसी तथा दिनांक 1 फरवरी 2016 से अपने पद पर पुनर्वापसी का अनुरोध किया है । कुलपति ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया तथा प्रोफेसर इर्शाद गुलाम अहमद को अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर पर दिनांक 1 फरवरी 2016 से पुनर्वापसी की अनुमति प्रदान की है।

उप कुलपति द्वारा प्रोफेसर इरशाद गुलाम अहमद के पदत्याग की स्वीकार्यता /पदत्याग की वापसी कार्यकारी परिषद द्वारा संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

कार्यवृत्त

इस मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने प्रोफेसर आई जी अहमद से सभा छोड़ने के लिए कहा क्योंकि विषय उनसे संबंधित था । परिषद ने कार्यसूची मद पर विचार विमर्श किया तथा कुलपति द्वारा प्रोफेसर इर्शाद गुलाम अहमद, अंग्रेजी विभाग के संबंध में पदत्याग की स्वीकार्यता /पदत्याग की वापसी में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की।

ई.स 24.3.3: डा0 टेईबोरलांग टी.खर्शिनट्यु की कार्यभार मुक्ति की तारीख का परिशोधन।

कार्यकारी परिषद ने अपनी दिनांक 31 अक्टूबर 2015 की 23वीं बैठक में **डा0 टेईबोरलांग टी.खर्शिनट्यु,**सहायक प्रोफेसर, अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग को दिनांक 3 जनवरी 2016 से

लिएन पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सहायक प्रोफेसर पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यभार मुक्त किए जाने के अनुरोध को स्वीकार किया था ।

डा0 टेईबोरलांग टी.खर्शिनट्युने अपने दिनांक 2 दिसंबर 2015 के पत्र में दिनांक 31 जनवरी 2016 से लिएन पर कार्यभार मुक्त किए जाने का अनुरोध प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि वे कुछ एमफिल छात्रों द्वारा अंतिम प्रस्तुतीकरण की प्रतीक्षारत है, जिन्हें वह पर्यवेक्षित कर रहे हैं , अतः उन्होंने अपने कार्यभार मुक्त किए जाने की तारीख में परिशोधन का अनुरोध किया है ।

उपरोक्त कारणों की दृष्टि से कुलपति ने दिनांक 31 जनवरी 2016 से कार्यभार मुक्त किए जाने का अनुरोध स्वीकार किया।

परिषद ने कार्यसूची मद पर विचार विमर्श किया तथा कुलपति द्वारा**डा0 टेईबोरलांग टी.खर्शिनट्यु को** दिनांक 3 जनवरी 2016 के स्थान पर दिनांक 31 जनवरी 2016 से कार्यभार मुक्त करने में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

ई.स 24.3.4: सुश्र जस्मिन यिमचुंगर का अध्ययन छुट्टी में विस्तार हेतु आवेदन

कार्यकारी परिषद ने इनकी दिनांक 31 अक्टूबर2015 को आयोजित 23वीं बैठक में **सुश्र जस्मिन यिमचुंगर,**सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग को 1 जुलाई 2015 से 16 दिसंबर 2015 तक की अवधि के लिए अध्ययन छुट्टी स्वीकृत किया था । **सुश्र जस्मिन यिमचुंगर**ने अपने 30.11.2015 के पत्र के माध्यम से अध्ययन छुट्टी में 31 जुलाई 2016 तक विस्तार किए जाने का अनुरोध किया है ।
विभाग की अनुशंसा पर,कुलपति में कार्यकारी परिषद की संपुष्टि की शर्त पर अध्ययन छुट्टी में 30 जून 2016 तक की अवधि हेतु विस्तार की स्वीकृति किया था ।

यह विषय कार्यकारी परिषद द्वारा संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किया है ।

कार्यवृत्त
परिषद ने कार्यसूची मद पर विचार-विमर्श किया तथा उप कुलपति द्वारा **सुश्र जस्मिन यिमचुंगर** *की अध्ययन छुट्टी में 30 जून 2016 तक के विस्तार में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।*

ई.स 24.3.5: डॉक्टर सुदर्शन तमांग की अति विशेष छुट्टी

कार्यकारी परिषद ने अपने दिनांक 28 जून 2014 को आयोजित 20वीं बैठक में ॉक्टर सुदर्शन तमांग को दिनांक 17 नवंबर 2014 से 6 नवंबर 2016 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए अति विशेष छुट्टी की स्वीकृति का अनुमोदन किया था ।यद्यपि ॉक्टर सुदर्शन तमांग ने एक वर्ष विशेष छुट्टी का उपभोग करने के बाद दिनांक 8 दिसंबर 2015,अर्थात उनकी छुट्टी समाप्त होने के पूर्व ही अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट किया । कुलपति ने 8 दिसंबर 2015 को उनके कार्यभार ग्रहण को स्वीकार किया ।

यह विषयकार्यकारी परिषद के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

कार्यवृत्त

परिषद में कार्यसूची मद पर विचार विमर्श किया तथा कुलपति द्वारा □ॉक्टर सुदर्शन तमांग, सहायक प्रोफेसर, रसायन शास्त्र विभाग को दिनांक 8 दिसंबर 2015 को कार्यभार ग्रहण करने, जो दिनांक 17 नवंबर 2014 से 16 नवंबर 2016 दोवर्षों के लिए ई ओ एल की समाप्ति के पूर्व था, की अनुमति देने में की गई कार्रवाई की संपुष्टि की ।

भाग - 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

ई.स□ 24.4.1: विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार एवं लाइब्रेरियन की नियुक्ति

विश्वविद्यालय ने विज्ञापन संख्या एस यू/2013/आर ई जी-03/एन टी एस आर 2013/2394, दिनांक 25 सितंबर 2015 के माध्यम से रजिस्ट्रार एवं लाइब्रेरियन के पदों को विज्ञापित किया था, तथा दोनों पदों की अंतर्वाताएं 25 जनवरी 2016 को आयोजित की गई थी । विज्ञापन के विरुद्ध कई आवेदन प्राप्त हुए थे । 12 अभ्यर्थियों की अल्पसूची हेतु चयन रजिस्ट्रार के पद के लिए किया गया था तथा तीन को लाइब्रेरियन के पद हेतु अल्प सूचीबद्ध किया गया था । चयन समिति की कार्यवाहियों को कार्यकारी परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

कार्यवृत्त

उप कुलपति ने सभी सदस्यों को सूचित किया कि रजिस्ट्रार एवं लाइब्रेरियन के पदों के लिए अंतर्वार्ताएं 25 जनवरी 2016 को आयोजित की गई थी । उन्होंने यह भी सूचना दी कि 12 अभ्यर्थियों का चयन रजिस्ट्रार के पद हेतु अल्पसूची के लिए किया गया था । तथा अभ्यर्थियों को लाइब्रेरियन के पद हेतु अल्पसूचीबद्ध किया गया था । तत्पश्चात चयन समिति कार्यवाहियों को खोला गया तथा चयन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित व्यक्तियों का अनुमोदन किया गया:

रजिस्ट्रार के पद हेतु

(i) श्री टी के कौल चयनित

(ii) श्री यू एस टोलिया प्रतीक्षा सूची हेतु

लाइब्रेरियन के पद हेतु कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया।

कार्यसूची मद पर चर्चा के दौरान कुलपति ने सूचित किया कि प्रोफेसर ए एस चंदेल का कार्यकाल, जो सिक्किम विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन के पद पर (संविदा आधार पर) कार्यरत था, दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाला है। चूंकि लाइब्रेरियन हेतु चयन प्रक्रिया नए सिरे से आरंभ किया जाना है, तथा इसमें 6 माह से अधिक का समय संलग्न है अतः परिषद ने प्रोफेसर एस चंदेल के कार्यकाल को दिनांक 1 अप्रैल 2016 से अगले छह माह तक बढ़ाने का निर्णय लिया ।

ई.स 24.4.2: डा0 सुरेश कुमार गुरूंग को संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में पुर्नपदनामित करना ।

ा0 सुरेश कुमार गुरूंग ने विश्वविद्यालय में 15.11.2010 को उप रजिस्ट्रार के रूप में रू0 15,600-39,100 के पे बैं में रू0 7600/- के ग्रे पे पर कार्यभार ग्रहण किया था । उन्होंने दिनांक 14.11.2015 को 5 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर ली है ।

एम एच आर ी एवं यू जी सी के क्रमश: दिनांक 13.12.2008 एवं 01.10.2014 के निर्देशानुसार निम्नलिखित बातें उल्लेखित है:

(i).....उप रजिस्ट्रार , रू0 15,600-39,100 के पे बैं में रू0 7600/- के ग्रे पे पर, 5 वर्षों की समाप्ति पर 37,400-67,000 के पे बैं में रू0 8700/- के ग्रे पे पर पदोन्नत किए जाने के योग्य होगा । एम एच आर ी ने अब ऐसे उप रजिस्ट्रार को इस निर्धारण पर संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में पुनर्पदनामित करने का अनुमोदन किया है कि यह पद उप रजिस्ट्रार के रूप में पुर्नवापसी होगा, जब कभी यह रिक्त होता है। ”

उपरोक्त निर्देशनों के दृष्टिकोण से, हमलोग श्री सुरेश कुमार गुरूंग को रू0 37,400-67,000 के पे बैं में रू0 8700/- के ग्रे पे पर दिनांक 15.11.2015से पुर्नपदनामित करने पर, जिसमें ी एन आई 01.07.2016 हो, इस निर्धारिण के साथ विचार कर सकते हैं कि जब कभी यह पद रिक्त होगा, इस पद को उप रजिस्ट्रार के रूप में पुर्नवापसी किया जाएगा ।

कार्यकारी परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवृत्त

मद संख्या24.4.2 एवं 24.2.3 पर विचार विमर्श के दौरान कार्यकारी रजिस्ट्रार ने अध्यक्ष से ई सी बैठक को छोड़ने की अनुमति लिया , क्योंकि विषय उनसे तथा उनके सहकर्मी से संबंधित था । अध्यक्ष ने उन्हें सभा कक्ष छोड़ने की अनुमति प्रदान की ।

परिषद ने विषय पर विचार-विमर्श किया तथा ा0 एस के गुरूंग को रू0 37,400-67,000 के पे बैं में रू0 8700/- के ग्रे पे के साथ दिनांक 15.11.2015 से इस निर्धारण के साथ संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में पुर्नपदनामित करने का अनुमोदन प्रदान किया कि यह पद रिक्त होने पर उन्हें उप रजिस्ट्रार के पद पर पुर्नवापसी किया जाएगा । उनकी ी एन आई 01.07.2016 होगी ।

ई.स 24.4.3: श्र चंदन तालुकदार को संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में पुर्नपदनामित करना ।

श्री चंदन तालुकदार ने विश्वविद्यालय में दिनांक 29.11.2010 को उप रजिस्ट्रार के पद पर रू0 15,600-39,100 के पे बैं में यऋ 76,00 के ग्रे पे के साथ कार्यभार ग्रहण किया था । उन्होंने दिनांक 28.11.2015 को अपनी 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है । एम एच आर ी एवं यू जी सी के क्रमश: 31.12.2008 एवं 01.10.2014 के पत्र में दिए गए निर्देशनों में निम्नलिखित बातें उल्लेखित हैं:

(i).....उप रजिस्ट्रार , रू0 15,600-39,100 के पे बैं□ में रू0 7600/- के ग्रे□ पे पर, 5 वर्षों की समाप्ति पर 37,400-67,000 के पे बैं□ में रू0 8700/- के ग्रे□ पे पर पदोन्नत किए जाने के योग्य होगा । एम एच आर □ी ने अब ऐसे उप रजिस्ट्रार को संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में, इस निर्धारण के साथ पुनर्पदनामित करने का अनुमोदन किया है कि पद जब कभी रिक्त होता है तो पुन: उप रजिस्ट्रार के रूप में वापस हो जाएगा ।

उपरोक्त की दृष्टि से श्री चंदन तालुकदार दिनांक 28.11.2015 से संयुक्त रजिस्ट्रार में पुनर्पदनामित किए जाने योग्य हैं ।

यद्यपि, श्री चंदन तालुकदार , जो कि वरिष्ठता के अनुसार □ा0 सुरेश कुमार गुरूंग से वरिष्ठ हैं, दिनांक 15.11.2015 से उन्नयन के लिए योग्य हैं । अत: श्री चंदन तालुकदार के मामले को एफ आर 22 सी , अभी एफ आर 22 (आई) (ए) (1) के अंतर्गत देखा जा सकता है:

“वरिष्ठ द्वारा पदोन्नति पर अपने कनिष्ठ से कम वेतन आहरित करने के मामले में वेतन में क्रमिक वृद्धि द्वारा असंगति के निराकरण पर यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी पद में अपने कनिष्ठ से, जो कि निम्नतर ग्रे□ में है, अथवा उस पद पर पदोन्नत हुआ है, अथवा किसी दूसरे समान पद पर बाद में नियुक्त किया गया है, से कम वेतन आहरित करता है, तो उच्चतर पद पर आसीन वरिष्ठ अधिकारी के वेतन में, कनिष्ठ अधिकारी को उच्चतर पद पर निर्धारित वेतन के बराबर के आंकड़े तक वृद्धि की जाएगी । यह वृद्धि पदोन्नति की तारीख अथवा कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की तारीख से की जाए, तथा यह निम्नलिखित शर्तों पर होगी, नामत:

कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अधिकारी दोनों समान कै□र एवं पदों पर होना चाहिए, जिसमें उन्हें नियुक्त अथवा पदोन्नत किया गया है, वे समान होने चाहिए एवं एक ही कै□र में होने चाहिए । निम्नतर एवं उच्चतर पदों में वेतनमान, जिन्हें वे आहरण करने के लिए अधिकृत है, समान होना चाहिए”

उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत श्री चंदन तालुकदार को संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में रू037,400-67,000 के पे बैं□ में रूपए 8700ग्रे□ पे के साथ दिनांक 15 नवंबर 2015 से पूनर्पदनामित किया जा सकता है , जिसमें □ीएन आई1 जुलाई 2016 को होगी ।कार्यकारी परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

कार्यवृत्त

परिषद ने विषय पर चर्चा की तथा श्री चंदन तालुकदार को संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में रू037,400-67,000 के पे बैं□ में रूपए 8700ग्रे□ पे के साथ दिनांक 15 नवंबर 2015 से *इस निर्धारण के साथ पुनर्पदनामित करने का अनुमोदन किया कि इसका □ी एन आई 1 जुलाई 2016 होगी एवं जब भी यह पद रिक्त होता है, इस पद को उप रजिस्ट्रार के रूप में पुनर्वापसी किया जाएगा ।*

विषय का अनुमोदन करते हुए परिषद ने यह भी उल्लेख किया कि श्री चंदन तालुकदार एवं □ॉक्टर सुरेश कुमार गुरुंग की इंटर से वरिष्ठता संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में कायम रहेगी ।

ई.स 24.4.4: गैर शिक्षण कर्मचारियों की परिवक्षा अवधि का परिसमापन

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित गैर शिक्षण कर्मचारियों ने उनके विरुद्ध दर्शाई गई तारीखों से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख	परीविक्षा समाप्ति की तारीख
1.	श्री फेन्चो वांगी क्पा	सुरक्षा अधिकारी	01.12.2014	30.11.2015
2.	श्री हेमेंत शर्मा	सहायक ईजीनियर	26.12.2014	25.12.2015
3.	श्री कर्मा ग्याछो भुटिया	जे.ई.(विद्युत)	26.12.2014	25.12.2015
4.	श्री मंजील दर्नाल	जे.ई.(सिविल)	26.12.2014	25.12.2015

तदनुसार, उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा विहित प्रपत्र में रिपोर्टिंग एवं रिव्युइंग प्राधिकारी द्वारा की गई है ।चूंकि कोई प्रतिकूल अभिव्यक्ति नहीं पाई गई है , तथा संतोषजनक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट की दृष्टि से, हम लोग उनकी परिवीक्षा अवधि को उठा सकते हैं, तथा विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं की ऊपर उल्लेखित परिवीक्षा अवधि के समापन की तारीख से अगली तारीख को पुष्टि कर सकते हैं ।

कार्यकारी परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया

कार्यवृत्त

परिषद ने इस विषय पर चर्चा की तथा निम्नलिखित कार्मिकों की परिवीक्षा को उठाए जाने तथा उनकी सेवाओं की पुष्टि हेतु अनुमोदन प्रदान किया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यग्रहण की तारीख	पुष्टि की तारीख
1.	श्री फेन्चो वांगी क्पा	सुरक्षा अधिकारी	01.12.2014	01.12.2015
2.	श्री हेमेंत शर्मा	सहायक ईजीनियर	26.12.2014	26.12.2015
3.	श्री कर्मा ग्याछो भुटिया	जे.ई.(विद्युत)	26.12.2014	26.12.2015
4.	श्री मंजील दर्नाल	जे.ई.(सिविल)	26.12.2014	26.12.2015

ई.स 24.4.5: प्रोफेसर समीरा मैती की अति विशेष छुट्टी

प्रोफेसर समीरा मैती ने दिनांक 1 फरवरी 2016 से 31 जुलाई 2016 तक की अवधि के लिए चिकित्सा कारणों से अति विशेष छुट्टी हेतु अनुरोध किया है । उन्होंने सूचित किया है कि उन्हें तत्काल कीमोथैरेपी अपने उपचार के लिए लेने की सलाह दी गई है जो कि गंगतोक में संभव नहीं है।

अतिविशेष छुट्टी के प्रावधानों 8(ii)के अंतर्गत:"इस छुट्टी की अनुमति सिर्फ उन शिक्षकों को दी जाएगी, जिन्हें उनके द्वारा धारित पदों पर पुष्टि कर ली गई है, तथा विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्षों की सेवा प्रदान की है।"

उपरोक्त की दृष्टि से प्रोफेसर समीरा मैती अति विशेष छुट्टी के लिए अधिकृत नहीं है, यद्यपि विशेष परिस्थितियों (चिकित्सा स्थितियांद्व में जैसा कि उनके द्वारा उल्लेख किया गया है, हम लोग अध्यादेश ओबी - 3(8) (viii) के अंतर्गत,"छुट्टी की स्वीकृति देने के लिए शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी छुट्टी रहित अनुपस्थिति की अवधि को पूर्वप्रभावी रूप से अति विशेष छुट्टी में परिणत कर सकते हैं" पर ध्यान देते हुए विचार कर सकते हैं।

कार्यकारी परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

कार्यवृत्त

परिषद ने कार्यसूची मद पर विचार विमर्श किया तथा प्रोफेसर समीरा मैती की चिकित्सकीय स्थिति पर विचार करते हुए, उन्हें दिनांक 8 फरवरी 2016 से 31 जुलाई 2016 तक अति विशेष छुट्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया ।

भाग-5

टेबल मदें

ई.स 24.5.1: प्रो0 इर्शाद गुलाम अहमद का पुष्टिकरण

प्रोफेसर इरशाद गुलाम अहमद ने विश्वविद्यालय में दिनांक 21 मई 2014 को अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया । उन्होंने दिनांक 21 मई 2015 को 1 वर्ष की सेवा पूर्ण किया है । तदनुसार, उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गई । चूंकि, कोई प्रतिकूल अभियुक्ति नहीं है तथा संतोषजनक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट की दृष्टि से, हम लोग परिवीक्षा को उठा सकते हैं तथा प्रोफेसर इर्शाद गुलाम अहमद की विश्वविद्यालय में सेवा की परिवीक्षा समापन की अगली तारीख से पुष्टि कर सकते हैं।

कार्यकारी परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

कार्यवृत्त

इस मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने प्रोफेसर इर्शाद गुलाम अहमद से सभा कक्ष से बाहर जाने को कहा, क्योंकि विषय उनसे संबंधित था । तत्पश्चात परिषद ने इस पर विचार विमर्श किया तथा विश्वविद्यालय में उनकी सेवाओं का दिनांक 22 मई 2015 से पुष्टि करने का अनुमोदन प्रदान किया ।

ई.स 24.5.2: वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण) की समीक्षा हेतु गठित समिति की रिपोर्ट तथा परिशोधित भर्ती नियमावली (गैर शिक्षण) का प्रस्तुत किया जाना

विश्वविद्यालय में परिशोधित भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण) के संबंध में यूजीसी से विभिन्न निर्देशन प्राप्त हुए हैं, जोकि निम्नानुसार हैं:

1) एफ सं0 16-40/2015(सी यू), दिनांक 14.01.2016, विषय: सचिवों की समिति की राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में"भारत सरकार में विभिन्न कनिष्ठ पदों के लिए अंतर्वार्ता की समाप्ति" के संबंध में दिनांक 14 सितंबर 2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त
2) एफ सं0 69-4/2012(सी यू), दिनांक 14.08.2015, विषय: भर्ती नियमावली के निर्माण/ संशोधन/ छूट हेतु मार्गदर्शन के परिशोधन के संबंध में
3) एफ एन 3-2/2012(जे सी आर सी), दिनांक 28.10.2015, विषय: सहायक रजिस्ट्रार का पदोन्नति के माध्यम से वेतनमान के संबंध में

इन के अनुसरण में, गैर शिक्षण कर्मचारियों से वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण),2014 की समीक्षा हेतु अनुरोध करते हुए प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । उपरोक्त की दृष्टि से यूजीसी से उपरोक्त निर्देशन एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों से प्रतिवेदन पर कुलपति में निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति का गठन वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली (गैर शिक्षण),2014 की समीक्षा हेतु अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं अद्यत यूजीसी के भर्ती नियमावली पर मार्गदर्शनों केसमरूप भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के निर्माण हेतु किया है ।

i. ॉ बिशनदास, रजिस्ट्रार, तेजपुर विश्वविद्यालय, असम बाह्य विशेषज्ञ
ii. श्री चंदन तालुकदार, रजिस्ट्रार (स्थानापन्न), सदस्य
iii. सीए. पी के सिंह, वित्त अधिकारी, सदस्य
iv. प्रोफेसर ए एस चंदेल, लाइब्रेरियन, सदस्य
v. सुश्री ग्रेस चेन चानकप्पा, सहायक रजिस्ट्रार (स्था) संयोजक

समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली, गैर शिक्षण,2016 के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें यूजीसी मार्गदर्शन ओके कड़ाई से अनुपालन की पुष्टि की गई है । समिति की रिपोर्ट परिशोधित भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली सहित कार्यकारी परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

कार्यवृत्त

उप कुलपति ने सदस्यों को समिति के गठन के उद्देश्यों से अवगत करवाया, जो कि वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली 2014 की समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी, और यही इसकी आवश्यकता थी । कुलपति ने यह भी सूचित किया कि विभिन्न पदों के लिए परिवीक्षा अवधि विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार निश्चित की जाए, जिसका की एमएचआरडी द्वारा उनके दिनांक 2 फरवरी 2016 के पत्र से अनुमोदन किया गया था।

परिषद ने तत्पश्चात भर्ती नियमावली की समीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया तथा भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली 2016 का अनुमोदन भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली,2014 के स्थान पर किया ।

अनुलग्नक - III

ई.स 24.5.3: निज एयरलाइंस द्वारा यात्रा के प्रति छूट

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (एफ सं 19024/12009-ई-iv, दिनांक 13.07.2009) के अनुसार, हवाई यात्रा के सभी मामले में जहां हवाई यात्रा की लागत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, संबंधित कार्मिक सिर्फ एयर इंडिया से यात्रा करेंगे । उन स्टेशनों हेतु यात्रा जो कि एयर इंडिया से जुड़ी नहीं है, कार्मिकगण अपने अंतिम गंतव्य के समीपस्थ हब/पॉइंट तक एयर इंडिया से यात्रा कर सकते हैं, इसके आगे वे अन्य एयरलाइंस का उपयोग कर सकते हैं जोकि वरीयता के आधार पर एयर इंडिया का सहयोगी भागीदार होना चाहिए । इन आदेशों से विचलन के सभी मामले में जो की प्रचालनात्मक अथवा अन्य कारणों अथवा अनुपलब्धता के कारण हो, व्यक्तिगत मामले को छूट हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय को संदर्भित किया जाएगा । एलटीसी के मामले हवाई यात्रा मात्र एयर इंडिया से ही होगी ।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ओ एम (एफ सं 7/1-ई-कॉर्ड/2014, दिनांक 29.10.2014) के खं 2.4 (iv) अनुसार व्यय प्रबंधन विषय पर आर्थिक उपाय एवं व्यय का यौक्तिकरण, पर हवाई यात्रा के सभी मामले में अधिकृत वर्ग हेतु उपलब्ध निम्नतम एयर किराया टिकट खरीदीप्राप्य की जाएं । घरेलू /अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर कोई भी कंपोनियन मुफ्त टिकटों का उपभोगग नहीं किया जाए ।

सिक्किम विश्वविद्यालय में, हमलोग सांविधिक निकायों के विशेषज्ञों/चयन समिति सदस्यों/ परीक्षाकों/ रिसोर्सेज पर्सन/ सदस्यों की बैठकों/सेमिनार/कार्यशाला में भाग लेने तथा परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए आमंत्रित करते हैं । तथापि इसके अधिकारीगण एवं शिक्षकगण को भी अन्य स्थानों पर बैठकों/ सेमिनार/ कार्यशाला आदि में भाग लेने के लिए जाना पड़ता है। हमेशा यह संभव नहीं होता है कि हवाई यात्रा बागडोगरा, पश्चिम बंगाल से एयर इंडिया

द्वारा किया जा सके जो कि सिक्किम का निकटतम हवाई अड्□ा है तथा गंगटोक से 125 किलोमीटर दूर है तथापि बाग□ोगरा से नई दिल्ली एवं वापसी के लिए सिर्फ एक ही उड़ान है ।

इस दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि निजी एयरलाइंस से यात्रा हेतु विश्वविद्यालय समुदाय के योग्य सदस्यगण सांविधिक निकायों के सदस्यगण/ परीक्षकगण/ रिसोर्स पर्सन्स/विशेषज्ञ आदि सहित को अनुमति प्रदान की जाए ताकि समय एवं लागत आदि की बचत हो सके। यद्यपि, यह छूट एल टी सी मामलों के लिए नहीं होगी ।

कार्यवृत्त

परिषद ने इस विषय पर चर्चा की तथा अनुभव किया कि देश के विभिन्न भागों के साथ सिक्किम की संयोजकता पर विचार करते हुए जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक राज्य है, एवं निकटतम हवाई अड्□ा (बाग□ोगरा एयरपोर्ट) पहुंचने में यहां की सड़क-अवस्था जोकि गंगटोक से 125 से 130किलोमीटर दूर है, समय कारक, लागत कारक, बाग□ोगरा एयरपोर्ट से देश के अन्य भागों में एयर इं□िया उड़ानों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता के कारण, यह उचित होगा कि विश्वविद्यालय के किसी भी एयरलाइंस से यात्रा करने के योग्य सदस्यों हेतु अनुमति के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाए । यद्यपि जहां कहीं संभव हो यात्रा एयर इं□िया से ही करने का प्रयास किया जाए ।

परिषद ने आगे विश्वविद्यालय के उस प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया कि एलटीसी संबंधी मामले में छूट प्राप्त क्षेत्रों को छोड़कर सभी यात्राएं मात्र एयर इं□िया से होगी।

ई.स□ 24.5.4: संबद्ध महाविद्यालयों के शासकीय निकाय/परामर्शदाय□ समिति के प्रति नामित किया जाना

कार्यकारी परिषद ने दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित गत बैठक में शासकीय निकाय/परामर्शदायी समिति पर अध्यादेश का अनुमोदन किया था। कथित अध्यादेश के अनुसार प्रत्येक महाविद्यालय में शासकीय निकाय/ परामर्शदायी समिति में विश्वविद्यालय के दो शिक्षकगण, एसोसिएट प्रोफेसर से निम्न रैंक का नहीं , कार्यकारी परिषद द्वारा अन्यों के अलावा नामित किया जाएगा । सभी महाविद्यालयों में फरवरी 2016 से ऑ□ सेमेस्टर आरंभ किए जाने की दृष्टि से तथा सभी संबद्ध महाविद्यालयों में शासकीय निकाय /परामर्शदायी समिति के गठन में संलग्न अनिवार्यता के कारण,कुलपति ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को महाविद्यालयों के शासकीय निकाय/ परामर्शदायी समिति के प्रति नामित किया । नामित शिक्षकों की सूची एतद्द्वारा संलग्न है ।

कुलपति के इस कार्रवाई की कार्यकारी परिषद द्वारा संपुष्टि की जाए ।

कार्यवृत्त

परिषद ने सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ संबद्धताप्राप्त महाविद्यालयों के शासकीय निकाय /परामर्शदायी समिति के प्रतिसदस्यों के नामित किए जाने का अनुलग्नक 4 के अनुसार अनुमोदन किया।

ई.स□ 23.4.14: संबद्ध महाविद्यालयों के शासकीय निकाय का गठन

विश्वविद्यालय की सांविधि की धारा 31 (1) (i)में निम्नलिखित प्रावधान उल्लेखित है:

प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान में नियमित रूप से गठित शासकीय निकाय होगा जिसमें कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित पन्द्रह व्यक्तियों से अधिक नहीं होंगे.....

उपरोक्त प्रावधान एवं शासकीय निकाय /परामर्शदायी समिति पर अध्यादेश के अनुसरण में, विश्वविद्यालय के तीन संबद्ध महाविद्यालयों में उनके शासकीय निकायों का गठन किया गया है । कथित महाविद्यालय ये हैं

I. हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय, 6ठा माईल, तादोंग, गंगटोक
II. □म्बर सिंह महाविद्यालय,6ठा माईल, तादोंग, गंगटोक
III. हिमालियन फार्मेसी संस्थान , माझीटार, रांगपो

उपरोक्त महाविद्यालयों के संबंधित शासकीय निकाय का संगठन कार्यकारी परिषद के अनुमोदनार्थ एतद्द्वारा संलग्न किया गया है।

आगे, सिक्किम सरकार द्वारा अनुरक्षित दो संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संबंधित शासकीय निकाय का गठन किया गया है, ये महाविद्यालय हैं:

i. सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग, गंगटोक
ii. सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय बुतुर्क गंगटोक

उपरोक्त महाविद्यालयों के संबंधित शासकीय निकाय का संगठन कार्यकारी परिषद के सूचनार्थ एतद्द्वारा संलग्न है ।

कार्यवृत्त

परिषद ने सिक्किम विश्वविद्यालय के विभिन्न संबद्ध महाविद्यालय शासकीय निकाय के गठन का अनुलग्नक V के अनुसार अनुमोदित किया।

चर्चा हेतु और कोई मदद नहीं होने के कारण, अध्यक्ष महोदय को एवं अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त घोषित हुई।

ह0/- ह0/-

(स□तालुकदार) **(प्रो.टी.ब□ सुब्बा)**

स्थानापन्न रजिस्ट्रार **कुलपति**

सचिव **अध्यक्ष**